भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3795

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में कमी

3795. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 16वें वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रतिशत हिस्सा 41 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या कई राज्यों ने केंद्र का हिस्सा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य से प्राप्त करों का प्रतिशत कितना है और केरल से एकत्रित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान हस्तांतरण के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को स्वीकृत की गई कुल राशि क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 16वें वित्त आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ): केरल राज्य से एकत्रित किए गए प्रत्यक्ष कर का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	**केरल राज्य से प्राप्त करों का प्रतिशत**	**विगत 5 वर्षों के दौरान केरल से एकत्रित करों की राशि *(₹ करोड़)***
2019-20 *	1.44%	15,164.10
2020-21 *	1.53%	14,515.59
2021-22 *	1.38%	19,562.02
2022-23 *	1.44%	23,983.26
2023-24 #	1.22%	23,966.92
2024-25 (28.02.2025 तक) #	1.27%	22,738.10

** स्रोत: पीआर सीसीए, सीबीडीटी (एनएसडीएल डेटा पर आधारित), # स्रोत: डीजीआईटी (प्रणालियाँ), अनंतिम आंकड़े*

कर अंतरण के संबंध में, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 (10.03.2025 तक) की अवधि के दौरान केरल राज्य सरकार को कुल ₹1,10,557.52 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।

***